

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 609

प्रकरण क्रमांक -M-COM-2025-03247

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "कान्हा ग्रीन्स", प्रमोटर-हाईटेक बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स,
द्वारा-श्रीमती दीपिका अग्रवाल, पता-गोपाल भवन, कोटरा रोड, जिला-रायगढ़
प्रोजेक्ट-" कान्हा ग्रीन्स" पता-बड़े अतरमुड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/07/2026	— प्रकरण प्रस्तुत । — रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "कान्हा ग्रीन्स" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA 060324001746 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 06.03.2024 से पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-04 एवं धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 10.12.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। — प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन मार्च, 2026 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा वार्षिक विवरण रिपोर्ट वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का रेरा विनिर्दिष्ट खाता सितम्बर, 2025 में खोला गया है। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को निर्देशित किये जाने के पश्चात् प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन तथा वार्षिक विवरण रिपोर्ट प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अनावेदक का	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 609

प्रकरण क्रमांक –M-COM-2025-03247

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “कान्हा ग्रीन्स”, प्रमोटर-हाईटेक बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स,
द्वारा-श्रीमती दीपिका अग्रवाल, पता-गोपाल भवन, कोटरा रोड, जिला-रायगढ़
प्रोजेक्ट-“ कान्हा ग्रीन्स” पता-बड़े अतरमुड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	उक्त कृत्य अधिनियम की धारा-04 एवं धारा-11 का उल्लंघन है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों एवं निर्देशों का अनुपालन नियमित समयावधि में नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा-04 एवं धारा-11 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-60 अंतर्गत प्रमोटर पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अनावेदक पर अधिनियम की धारा-60 के अंतर्गत रुपये 1,00,000/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, 30 दिवस के भीतर निर्धारित शासकीय मद-मुख्य शीर्ष 0216-आवास, उप मुख्य शीर्ष 02-शहरी आवास, लघु शीर्ष 105-भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 योजना क्रमांक 3201-रेरा द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड, में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करें। यदि अनावेदक द्वारा 30 दिवस की अवधि में भी शास्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा उक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ट दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य	